

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04062020-219722
SG-DL-E-04062020-219722असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]	दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2020/ज्येष्ठ 12, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 34
No. 101]	DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2020/JYAISHTHA 12, 1942	[N.C.T.D. No. 34

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जून, 2020

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम

प्रस्तावना

सं. 325/नियम/डीएचसी.—चूँकि न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग से संबंधित प्रक्रिया को समेकित, एकीकृत और सुव्यवस्थित करना समीचीन है; तथा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय निम्नलिखित नियमों को बनाता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

1. ये नियम “दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायालयों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2020” कहलाएंगे।

(i) ये नियम उन न्यायालयों या कार्यवाही या न्यायालयों या कार्यवाही के उन वर्गों पर उस तिथि से लागू होंगे, जिसे माननीय उच्च न्यायालय इस संबंध में अधिसूचित करे।

2. परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) "अधिवक्ता" से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत बनाई गयी किसी भी सूची में शामिल अधिवक्ता तथा इसमें सरकारी वकील / अधिवक्ता और अभियोजन विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।

(ii) "कमिश्नर" से अभिप्रेत है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.सं.), या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं.प्र.सं.) या किसी अन्य प्रवृत्त विधि के तहत कमिश्नर के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(iii) "समन्वयक" से अभिप्रेत है नियम 5 के तहत समन्वयक के रूप में नामित व्यक्ति।

(iv) "न्यायालय" में भौतिक न्यायालय और आभासी न्यायालय या अधिकरण शामिल हैं।

(v) "न्यायालय स्थल" से अभिप्रेत है न्यायालय कक्ष या एक या एक से अधिक स्थान जहाँ पर भौतिक रूप से न्यायालय का संचालन किया जा रहा है, या वह स्थान जहाँ एक आयुक्त या एक पूछताछ अधिकारी न्यायालय के निर्देशों के अधीन कार्यवाही करता है।

(vi) "न्यायालय प्रयोक्ता" से अभिप्रेत है कोई प्रयोक्ता जो न्यायालय स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेता है।

(vii) "निर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर" से अभिप्रेत है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संचालन हेतु समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया सॉफ्टवेयर।

(viii) "असाधारण परिस्थितियों" में उदाहरण के तौर पर महामारी, प्राकृतिक आपदाएँ, कानून और व्यवस्था से सम्बंधित परिस्थितियाँ और अभियुक्तों और गवाहों की सुरक्षा से संबंधित मामले शामिल हैं।

(ix) "लाइव लिंक" से अभिप्रेत है एवं इसमें शामिल है कोई लाइव टेलीविज़न लिंक, श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन या अन्य व्यवस्था, जिसकी सहायता से कोई गवाह, निर्दिष्ट व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति है, जबकि वह भौतिक रूप से न्यायालय कक्ष में अनुपस्थित हो फिर भी तकनीक का उपयोग करके दूरस्थ संचार द्वारा न्यायालय कक्ष में साक्ष्य और प्रतिपरीक्षा देने के लिए उपस्थित हो।

(x) "दूरस्थ स्थल" एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित होने या प्रकट होने की आवश्यकता होती है।

(xi) "दूरस्थ प्रयोक्ता" से अभिप्रेत है दूरस्थ स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने वाला प्रयोक्ता।

(xii) "अभीष्ट व्यक्ति" में शामिल हैं:

क. जिस व्यक्ति की गवाही होनी है; या

ख. वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में कार्यवाही दर्ज या संचालित की जानी है; या

ग. कोई अधिवक्ता अथवा स्वयं पक्षकार जो किसी गवाह की गवाही लेने का इरादा रखता है; या

घ. कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियाँ करना अपेक्षित है; या

ङ कोई अन्य व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति है।

(xiii) "नियम" से अभिप्रेत होगा न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम और किसी नियम, उप-नियम या अनुसूची का संदर्भ इन नियमों के नियम, उप-नियम या अनुसूची के संदर्भ में होगा।

अध्याय II - सामान्य सिद्धांत

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांत

(i) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग न्यायिक कार्यवाही और न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सभी चरणों में किया जा सकता है।

(ii) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय द्वारा की गई सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी और एक भौतिक न्यायालय के लिए लागू सभी शिष्टाचार और नवाचार इन आभासी कार्यवाही पर लागू होंगे। अनुसूची-1 में प्रदान किए गए नवाचार का पालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई कार्यवाही के लिए किया जाएगा।

(iii) न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होने वाले सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों सहित सि.प्र.सं., दं.प्र.सं., न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (साक्ष्य अधिनियम), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संचालित कार्यवाही पर लागू होंगे।

(iv) स्वतंत्रता, निष्पक्षता और न्यायिक कार्यवाही की विश्वसनीयता को बनाए रखने के अधीन, और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के अधीन, न्यायालय समय-समय पर उपलब्ध होने वाली तकनीकी प्रगति को अपना सकता है।

(v) न्यायालय पर लागू होने वाले नियम, यथावश्यक परिवर्तन सहित न्यायालय द्वारा साक्ष्य को दर्ज करने के लिए नियुक्त कमिश्नर और जांच का संचालन करने वाले जांच अधिकारी पर लागू होंगे।

(vi) किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कार्यवाही की कोई अनधिकृत रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी।

(vii) नियम 2 (xii) में परिभाषित व्यक्ति व्यक्तिगत ईमेल के माध्यम से न्यायालय स्थल समन्वयक को भारत सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। पहचान प्रमाण-पत्र तुरंत उपलब्ध न होने पर, संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करेगा: नाम, पितृत्व और स्थायी पता, तथा अस्थायी पता भी।

4. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुशंसित सुविधाएं

न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कार्यवाही संचालित करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों की अनुशंसा की जाती है:

(i) डेस्कटॉप, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रिंटर के साथ मोबाइल उपकरण;

(ii) निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला उपकरण;

(iii) कैमरा;

(iv) माइक्रोफोन और स्पीकर;

(v) डिस्प्ले यूनिट;

(vi) दस्तावेज़ विज़ुअलाइज़र;

(vii) फ़ायरवॉल का प्रावधान;

(viii) गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था;

(ix) पर्याप्त प्रकाश; तथा

(x) शांत और सुरक्षित स्थान की उपलब्धता

5. प्रारंभिक व्यवस्था

5.1 न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल/दोनों पर एक समन्वयक होगा जहां से किसी भी अपेक्षित व्यक्ति की जांच या सुनवाई की जानी है। हालाँकि, दूरस्थ स्थल पर समन्वयक की आवश्यकता तभी हो सकती है जब किसी गवाह या अपराध के आरोपी व्यक्ति की गवाही होनी हो।

5.2 जिला न्यायपालिका के दायरे में आने वाले दीवानी और फौजदारी न्यायालयों में, उच्च न्यायालय या संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा नामित व्यक्ति, न्यायालय स्थल पर समन्वयकों के कार्यों के साथ-साथ दूरस्थ स्थल पर नियम 5.3 में प्रदत्त कार्य करेंगे।

5.3 दूरस्थ स्थल पर समन्वयक निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

उप नियम	जहां अधिवक्ता या आवश्यक व्यक्ति निम्नलिखित दूरस्थ स्थल पर है- :	दूरस्थ स्थल पर निम्न समन्वयक होंगे- :
5.3.1	विदेश	भारतीय वाणिज्य दूतावास / प्रासंगिक भारतीय दूतावास / प्रासंगिक भारतीय उच्चायोग का अधिकारी।
5.3.2	भारत के दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का न्यायालय	संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा नामित कोई अधिकृत अधिकारी
5.3.3	मध्यस्थता केंद्र या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय	अध्यक्ष या संबंधित जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा नामित कोई अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी।
5.3.4	जेल या कारागार	संबंधित जेल अधीक्षक या जेल के प्रभारी अधिकारी।
5.3.5	केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासित अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी या उक्त अस्पताल के प्रभारी अधिकारी
5.3.6	अवलोकन गृह, विशेष गृह, बाल गृह, आश्रय गृह, या ऐसी कोई भी संस्था जो बाल सुविधा के रूप में जानी जाती हो (सामूहिक रूप से बाल सुविधाओं के रूप में संदर्भित) और जहां निर्दिष्ट व्यक्ति एक किशोर है या एक बच्चा है या एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बाल सुविधा का निवासी हो।	अधीक्षक या उस बाल सुविधा के प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।
5.3.7	महिला उद्धार गृह, संरक्षण गृह, आश्रय गृह, नारी निकेतन या कोई भी संस्था जो महिलाओं की सुविधा के रूप में जानी जाती हो (सामूहिक रूप से महिला सुविधा के रूप में संदर्भित)।	अधीक्षक या उस महिला सुविधा के प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।
5.3.8	हिरासत, देखभाल या किसी अन्य सरकारी कार्यालय, संगठन या संस्था में कार्यरत (सामूहिक रूप से संस्थागत सुविधा के रूप में संदर्भित)।	अधीक्षक या उस संस्थागत सुविधा के प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।
5.3.9	फॉरेंसिक साइंस लैब	प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी या उनके नामांकित व्यक्ति
5.3.10	किसी अन्य स्थान के मामले में	संबंधित न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जिसे न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे और जो यह सुनिश्चित करने के लिए सेवाएं समन्वयक के रूप में देने के लिए तैयार और इच्छुक हो कि कार्यवाही सही, निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से और उस दिशा में न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार की जाए।

5.3.11 खंड 5.3.1 के प्रावधानों के बावजूद, जहां साक्षी की गवाही देश के बाहर स्थित किसी व्यक्ति के आपराधिक मामले में होनी है, वहाँ "विदेशों में जांच और आपराधिक मामलों के संबंध में Letters Rogatory (LRs) / आपसी कानूनी सहायता (एमएलए) अनुरोध व समन/नोटिस/न्यायिक दस्तावेजों को तामील करने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों" (http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/ISII_ComprehensiveGuidelinesMutualLegalAssistance_17122019.pdf पर उपलब्ध) के प्रावधानों का अनुसरण उस सीमा तक किया जाएगा जहाँ तक वे दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हों। इसके अलावा, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्षी की गवाही किये जाने हेतु अपने विवेक के प्रयोग से पहले, अभियुक्त की सहमति प्राप्त करेगा।

5.4 जब एक अपेक्षित व्यक्ति उप-नियम 5.3 में उल्लिखित किसी भी दूरस्थ स्थल पर है, और इनमें से किसी भी स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो संबंधित न्यायालय औपचारिक रूप से जिला न्यायाधीश जिनके क्षेत्राधिकार में दूरस्थ स्थल स्थित है, को अनुरोध करेगा, कि वे एक निकटस्थ और उपयुक्त अदालत परिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एक समन्वयक नियुक्त करें।

5.5 न्यायालय स्थल व दूरस्थ स्थल दोनों में समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम 4 में निर्धारित की गई आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया हो, ताकि कार्यवाही को निर्बाध रूप से संचालित किया जा सके।

5.6 दूरस्थ स्थल में समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि:

5.6.1 सभी अधिवक्ता और / या किसी विशेष कार्यवाही में प्रस्तुत होने हेतु अनुसूचित अपेक्षित व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नामित दूरस्थ स्थल पर निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले तैयार हों।

5.6.2 किसी भी अनाधिकृत रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग न हो।

5.6.3 वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में प्रवेश न करे।

5.6.4 जिस व्यक्ति की गवाही हो रही है, उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से उकसाया, सिखाया, मनाया, प्रेरित किया या मजबूर न किया जाए और जिस व्यक्ति की गवाही की जा रही है, वह गवाही के दौरान संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना किसी दस्तावेज़, लेख या उपकरण का उल्लेख न करे।

5.7 जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने वाले साक्षी को आवश्यकता हो या यदि अन्यथा ऐसा करना उचित लगता हो, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम को बताते हुए पहले ही पर्याप्त रूप से सूचित करेगा, और उचित मामलों में, नियम 5.3 के अधीन संबंधित दूरस्थ स्थल के लिए नामित समन्वयक के आधिकारिक ईमेल पर कार्यवाही के अभिलेख की सभी या किसी भाग की डिजिटल स्कैन की गई गैर-संपादनीय प्रतियां भेजेगा।

5.8 निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तिथि से पूर्व, न्यायालय स्थल पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ स्थल पर समन्वयक को कार्यवाही के पूर्ण अभिलेख या किसी भाग की प्रमाणित प्रतियां, प्रिंटआउट्स या स्कैन की गई गैर-संपादनीय प्रतियों की सॉफ्ट-कॉपी प्राप्त हो जाए, जिसकी बयानों या साक्ष्य को दर्ज करने या संदर्भ हेतु आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, केवल न्यायालय की अनुमति के साथ ही अपेक्षित व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग की इजाज़त दी जाएगी।

5.9 जब भी आवश्यकता होगी न्यायालय दूरस्थ स्थल या न्यायालय स्थल पर उपस्थित समन्वयक को निम्नलिखित उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है –

5.9.1 कोई अनुवादक, उस स्थिति में जब गवाही देने वाला व्यक्ति न्यायालय की राजभाषा से परिचित न हो।

5.9.2 कोई सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ, उस स्थिति में जब गवाही देने वाला व्यक्ति बोल व/या सुन नहीं सकता हो।

5.9.3 कोई दुभाषिया या विशेष शिक्षक, जैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में जब गवाही देने वाला व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से दिव्यांग हो।

अध्याय III - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रक्रिया

6. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति, साक्ष्य और निवेदन हेतु अर्जी:

6.1 कार्यवाही अथवा साक्ष्य से सम्बंधित कोई पक्षकार न्यायालय के आदेश पर प्रारंभ की गई कार्यवाही के सिवाय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रार्थना कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही की मांग करने वाला कोई पक्षकार या गवाह अनुसूची-II में निर्धारित प्रारूप द्वारा अनुरोध कर सकता है।

6.2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनुरोध करने के लिए किसी प्रस्ताव पर पहले कार्यवाही से संबंधित दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के साथ चर्चा की जानी चाहिए, सिवाय इसके कि जहाँ यह संभव नहीं है या अनुचित है, उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में जैसे तत्काल आवश्यक प्रार्थनापत्र।

6.3 इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति और सभी संबंधित व्यक्तियों को सुनकर, न्यायालय यह सुनिश्चित करने के बाद कि आवेदन निष्पक्ष सुनवाई में अवरोध डालने का कार्यवाही में देरी से दायर नहीं किया गया है, एक उचित आदेश पारित करेगा।

6.4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसी अनुरोध को अनुमति देते हुए, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यक्रम भी निश्चित कर सकता है।

6.5 यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम का आयोजन मौखिक निवेदन हेतु किया गया है तो आदेश में अधिवक्ता या स्वयं पक्षकार द्वारा लिखित तर्कों व पूर्व निर्णयों, यदि कोई हो, को संबंधित अदालत के आधिकारिक ईमेल आईडी पर अग्रिम में दिया जाना अपेक्षित हो सकता है।

6.6 जुर्माना, यदि भुगतान करने का निर्देश किया गया है, निर्धारित समय के भीतर जमा किया जाएगा, जो उस तिथि से शुरू होगा जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही आयोजन हेतु आदेश प्राप्त किया गया है।

7. सम्मन की तामील

7.1 एक साक्षी जिसकी वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही होती है, को जारी किए गए सम्मन में, दिनांक, समय व संबंधित दूरस्थ स्थल के स्थान का उल्लेख होगा तथा यह साक्षी को पहचान के प्रमाण या इसके प्रभाव में शपथपत्र के साथ साक्षी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश करेगा। समन तामील व गैर-उपस्थिति के परिणामों के संबंध में सि.प्र.सं. और दं.प्र.सं. में दिए गए मौजूदा नियमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गई कार्यवाही के लिए सम्मन तामील के संबंध में लागू किया जाएगा।

7.2 इसके अलावा, देश के बाहर रहने वाले गवाहों पर सम्मन तामील के संबंध में, आपराधिक मामलों के विषय में, "विदेशों में जांच और आपराधिक मामलों के संबंध में Letters Rogatory (LRs) / आपसी कानूनी सहायता (एमएलए) अनुरोध व समन/नोटिस/न्यायिक दस्तावेजों को तामील करने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों (http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/ISII_ComprehensiveGuidelinesMutualLegalAssistance_17122019.pdf पर उपलब्ध)" के प्रावधानों का अनुसरण उस सीमा तक किया जाएगा जहाँ तक वे दंड प्रक्रिया संहिता और मौजूदा अधिनियमों के अनुकूल हों।

8. व्यक्तियों की परीक्षा

8.1 जिस भी व्यक्ति की गवाही की जा रही हो, जिसमें साक्षी भी शामिल है, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही से पहले, भारत सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी या मान्य एक पहचान दस्तावेज़ जमा करने के माध्यम से पहचान हेतु साक्ष्य प्रस्तुत व दर्ज कराना होगा या किसी भी ऐसे दस्तावेज़ की अनुपस्थिति में सि.प्र.सं. की धारा 139 या दं.प्र.सं. की धारा 297 में संदर्भित किसी भी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित एक शपथपत्र दर्ज कराना होगा, जैसा भी मामला हो। शपथपत्र अन्य बातों के साथ-साथ यह बयान करेगा कि, जो व्यक्ति, कार्यवाही हेतु पक्षकार या एक गवाह के रूप में दिखाया गया है, वही व्यक्ति है, जिसे आभासी सुनवाई पर गवाही देनी है। पहचान के प्रमाण या शपथपत्र की एक प्रति, जैसा भी मामला हो विपरीत पक्षकार को उपलब्ध करायी जाएगी।

8.2 गवाही देने वाले व्यक्ति की गवाही सामान्यतः संबंधित न्यायालय के कार्य समय या न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले समय पर की जा सकती है। गवाही देने वाले व्यक्ति की शपथ न्यायालय स्थल पर उपस्थित समन्वयक द्वारा करायी जाएगी।

8.3 गवाही देने वाला व्यक्ति, या आरोपी जिस पर अभियोग चलना है, हिरासत में है तो बयान, या गवाही, जैसा भी मामला हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पूर्व, दौरान और बाद में विचाराधीन कैदी को अपने वकील के साथ गोपनीयता रूप से परामर्श करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

8.4 साक्ष्य अधिनियम में निहित साक्षियों की परीक्षा के लिए प्रावधानों के अधीन, साक्षी की परीक्षा से पहले दस्तावेजों, यदि कोई हो, जिन पर विश्वास किया जाना है, आवेदक द्वारा साक्षी को प्रेषित किया जाएगा, ताकि साक्षी कथित दस्तावेजों से परिचित हो सके। आवेदक इस हेतु न्यायालय में एक पावती दाखिल करेंगे।

8.5 यदि किसी व्यक्ति की किसी विशेष दस्तावेज के संदर्भ में गवाही की जाती है तो गवाह के लिए सम्मन के साथ सम्बंधित दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रतिलिपी साथ होनी चाहिए। मूल दस्तावेज को गवाही देने वाले व्यक्ति की गवाही के अनुसार न्यायालय स्थल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

8.6 न्यायालय गवाही देने वाले व्यक्ति के आचरण को दर्ज करने हेतु स्वतंत्र होगा।

8.7 न्यायालय गवाही देने वाले व्यक्ति की गवाही के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर फैसला करेगा।

8.8 न्यायालय गवाही समाप्त होने के बाद प्रतिलेख पर गवाही देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। हस्ताक्षर किया गया प्रतिलेख न्यायिक कार्यवाही के अभिलेख का हिस्सा होगा। गवाही देने वाले व्यक्ति का प्रतिलेख पर हस्ताक्षर निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जाएगा :

8.8.1 अगर डिजिटल हस्ताक्षर दोनों, संबंधित न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल पर उपलब्ध हैं, तो न्यायालय स्थल पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रतिलेख की सॉफ्ट-कॉपी को आधिकारिक ई-मेल द्वारा दूरस्थ स्थान को भेजा जाएगा जहां एक प्रिंटआउट लिया जाएगा और गवाही देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। दूरस्थ स्थान में समन्वयक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए गए प्रतिलेखों की एक स्कैन प्रतिलिपि को न्यायालय स्थल पर आधिकारिक ईमेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा। गवाही पर हस्ताक्षर किए गए प्रतिलेखों की हार्ड कॉपी को गवाही समाप्त होने के बाद प्राथमिकता के साथ तीन दिनों के भीतर दूरस्थ स्थान में समन्वयक द्वारा मान्यता प्राप्त कूरियर / पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा न्यायालय स्थल पर भेजा जाएगा।

8.8.2 यदि डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रतिलेखों के प्रिंटआउट पर न्यायालय स्थल पर पीठासीन न्यायाधीश व पक्षकारों के प्रतिनिधियों द्वारा, यदि कोई हो, हस्ताक्षर किया जाएगा और गैर-संपादनीय स्कैन प्रारूप में दूरस्थ स्थल के आधिकारिक ईमेल पर भेजा जाएगा, जहां इसका एक प्रिंटआउट लिया जाएगा और गवाही देने वाले व्यक्ति द्वारा प्रति-हस्ताक्षर किए जाएंगे और दूरस्थ स्थल में समन्वयक द्वारा प्रति-हस्ताक्षर किया जाएगा। हस्ताक्षरित प्रतिलेख की एक गैर-संपादनीय स्कैन प्रारूप की प्रति को, न्यायालय स्थल के आधिकारिक ईमेल पर दूरस्थ स्थल के समन्वयक द्वारा भेजा जाएगा, जहां एक प्रिंट लिया जाएगा और न्यायिक अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा। हार्ड कॉपी को दूरस्थ स्थल के समन्वयक द्वारा न्यायालय स्थल पर मान्यता प्राप्त कूरियर/पंजीकृत स्पीड-पोस्ट द्वारा प्राथमिकता के साथ तीन दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

8.9 गवाही देने वाले व्यक्ति की गवाही की एक श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग को संरक्षित किया जाएगा। हैश मान के साथ एन्क्रिप्टेड मास्टर कॉपी रिकॉर्ड के रूप में रखी जाएगी।

8.10 न्यायालय, गवाही देने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर या स्वयं से, गवाही देने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर, गवाही देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा के लिए विभिन्न पक्षों जैसे कि उम्र, लिंग, शारीरिक स्थिति और मान्यता प्राप्त रिवाजों और प्रथाओं को ध्यान में रखकर, उचित आवश्यक उपायों को निर्देशित कर सकता है।

8.11 दूरस्थ स्थल पर मौजूद समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ स्थल पर गवाही देने वाला व्यक्ति तथा जिनकी उपस्थिति समन्वयक प्रशासनिक रूप से कार्यवाही जारी रखने के लिए आवश्यक समझे के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उपस्थित न हो।

8.12 न्यायालय ऐसी अन्य शर्तें जो कि गवाही की प्रभावी रूप से दर्ज करने हेतु दिए गए तथ्यों के अनुसार आवश्यक हो (विशेषकर नियम 5.6.4 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए) भी लागू कर सकता है।

8.13 गवाही, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी व्यवधान या अनावश्यक स्थगनों के जारी रहनी चाहिए। हालाँकि न्यायालय या कमिश्नर, जैसा भी मामला हो, के पास यह निश्चित करने हेतु स्वतंत्र होंगे कि क्या स्थगन प्रदान किया जाए, और यदि हाँ, तो किन शर्तों पर।

8.14 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किसी व्यक्ति कि गवाही लेते समय न्यायालय सि.प्र.सं. के प्रावधानों, दं.प्र.सं. के अध्याय XXIII भाग बी, साक्ष्य अधिनियम तथा आई.टी. अधिनियम द्वारा मार्गदर्शित होगा।

8.15 जब अपेक्षित व्यक्ति बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के कारण न्यायालय स्थल या दूरस्थ स्थल पर पहुँचने में असमर्थ हो, या अपेक्षित व्यक्ति की उपस्थिति बिना अनुचित विलम्ब या व्यय के संभव न हो तो न्यायालय उस स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन प्राधिकृत कर सकता है जहाँ ऐसा व्यक्ति स्थित हो। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय पोर्टेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के उपयोग का निदेश दे सकता है। इस हेतु अधिकार सम्बंधित समन्वयक तथा/अथवा न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझे गए किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है।

8.16 न्यायालय द्वारा पारित किये ऐसे आदेश के अधीन, यदि कोई भी पक्षकार या किसी पक्षकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति दूरस्थ स्थल पर गवाही की रिकॉर्डिंग के समय शारीरिक रूप से उपस्थित रहने के इच्छुक हो, तो ऐसा पक्षकार दूरस्थ स्थल पर उपस्थिति/प्रतिनिधित्व के लिए स्वयं प्रबंध करेगा।

9. दूरस्थ स्थल पर गवाह अथवा अभियुक्त को दस्तावेज़ दिखाना या प्रदर्शित करना

यदि दूरस्थ स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किसी व्यक्ति की गवाही के दौरान उसे कोई दस्तावेज़ दिखाना आवश्यक हो तो न्यायालय निम्नलिखित पद्धति से दस्तावेज़ को दिखाने की आज्ञा दे सकता है:

9.1 यदि दस्तावेज़ न्यायालय स्थल पर है तो दस्तावेज़ की प्रतिलिपि या छायाचित्र दूरस्थ स्थल तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जिसमें दस्तावेज़ विजुअलाइज़र द्वारा संचारण भी सम्मिलित है, संचारित कर; या

9.2 यदि दस्तावेज़ दूरस्थ स्थल पर है तो उसे व्यक्ति को दिखाकर उसकी प्रतिलिपि/छायाचित्र न्यायालय स्थल तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जिसमें दस्तावेज़ विजुअलाइज़र द्वारा संचारण भी सम्मिलित है, संचारित कर। दस्तावेज़ की गवाह तथा समन्वयक द्वारा दूरस्थ स्थल पर प्रतिहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी तत्पश्चात् अधिकृत कूरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा न्यायालय स्थल भेज दी जायेगी।

10. निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनिश्चित करना

10.1 न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेश में निर्दिष्ट तिथि और समय पर अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति न्यायालय को निर्दिष्ट दूरस्थ स्थल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्बोधित करेगा। जहाँ तर्क का सम्बोधन न्यायालय के समक्ष किसी अधिवक्ता या स्वयं पक्षकार द्वारा होना हो, वहाँ समन्वयक की दूरस्थ स्थल पर उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी।

10.2 यदि कार्यवाही नियम 5.3.1 से 5.3.9 तक वर्णित परिस्थितियों में किसी भी दूरस्थ स्थल/स्थलों से की जाती है तो ऐसे दूरस्थ स्थल पर मौजूद समन्वयक सभी तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। परन्तु, यदि कार्यवाही नियम 5.3.10 के अंतर्गत अवैधित परिस्थितियों में आने वाले दूरस्थ स्थल से संचालित की जाती है, जैसे किसी अधिवक्ता का कार्यालय, तो न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक दोनों न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संचालन के लिए सभी तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

10.3 न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक सम्बंधित अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति से संपर्क में रहेगा तथा उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक सफल सुनवाई के निष्पादन के लिए तकनीकी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बंधित मार्गदर्शन करेगा। ऐसे दूरस्थ प्रयोक्ता के समक्ष आने वाली किसी भी समस्या को न्यायालय स्थल समन्वयक समाधित करेगा। न्यायालय स्थल समन्वयक अन्य बातों के अलावा दूरस्थ प्रयोक्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संचालित सुनवाई का लिंक साझा करेगा।

10.4 न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा की दूरस्थ प्रयोक्ता द्वारा ईमेल किया गया कोई भी दस्तावेज़ या श्रव्य-दृश्य फाइलें न्यायालय स्थल पर विधिवत प्राप्त की जाएं।

10.5 न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों न्यायालय स्थल तथा दूरस्थ स्थल के सभी तकनीकी सिस्टम काम करने की स्थिति में हैं, निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्राथमिकता के साथ 30 मिनट पहले पूर्व परीक्षण हेतु एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन भी करेगा।

10.6 निर्धारित समय पर न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक दूरस्थ प्रयोक्ता को न्यायालय से जोड़ेगा।

10.7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही के समापन पर न्यायालय आदेश पत्रक पर कार्यवाही के समय व अवधि, प्रयुक्त सॉफ्टवेयर (यदि प्रयुक्त सॉफ्टवेयर नामित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर न हो तो), मुद्दे जिन पर न्यायालय को सम्बोधित किया गया तथा दस्तावेज़, यदि कोई हों, जिन्हें प्रस्तुत और ऑनलाइन संचारित किया गया हो का वर्णन करेगा। यदि कोई डिजिटल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गयी तो न्यायालय आदेश पत्रक में उसकी अवधि तथा अन्य सभी आवश्यक विवरण तहरीर करेगा।

10.8 न्यायालय दोनों न्यायालय में उपस्थित प्रयोक्ताओं तथा दूरस्थ प्रयोक्ताओं की स्पष्टता, आवाज़ और संयोजकता के सम्बन्ध में अपनी संतुष्टि भी तहरीर करेगा।

10.9 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समापन पर यदि किसी दूरस्थ प्रयोक्ता को यह लगे कि ख़राब वीडियो और/या ऑडियो गुणवत्ता के कारण उनके साथ पक्षपात हुआ है तो वह दूरस्थ प्रयोक्ता तुरंत न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक को सूचित करेगा, जो बदले में बिना किसी विलम्ब यह सूचना न्यायालय को संचारित करेगा। न्यायालय इस परिवेदना पर विचार करेगा और यदि उसे इस परिवेदना में वास्तविकता लगती है तो वह सुनवाई को अधूरा घोषित कर सकता है तथा पक्षकारों को दोबारा जुड़ने या न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होने को कह सकता है।

11. दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत न्यायिक रिमांड, दोषारोपण, अभियुक्त की गवाही तथा कार्यवाही

11.1 न्यायालय अपने विवेक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेने का अधिकार दे सकता है तथा दं.प्र.सं. के तहत एक आपराधिक मुकदमे में दोषारोपण कर सकता है। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त, जिनके कारण लिखित में रिकॉर्ड किये जायेंगे, आम तौर पर पहली बार में न्यायिक रिमांड या पुलिस रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अनुमत नहीं की जायेगी।

11.2 न्यायालय, असाधारण परिस्थितियों में, सभी प्राप्य सावधानियों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि गवाह या अभियुक्त, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रकार के दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव से मुक्त हैं, गवाह या अभियुक्त का दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत गवाही ले सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान को रिकॉर्ड कर सकता है, जिनके कारण लिखित में रिकॉर्ड किये जायेंगे। न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

अध्याय IV - सामान्य प्रक्रिया

12. सामान्य प्रक्रिया

12.1 इस अध्याय में एतदपश्चात वर्णित प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संचालित कार्यवाही का विशिष्ट उदाहरण होने के कारण इन नियमों में अन्यत्र निर्दिष्ट प्रक्रियाओं से किसी पक्षपात के बिना है।

12.2 न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवल नामित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संचालित की जाए। परन्तु, किसी कार्यवाही के दौरान तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में, सम्बंधित न्यायालय उस विशेष कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नामित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के अलावा किसी अन्य सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति दे सकता है, जिसका कारण लिखित में रिकॉर्ड किया जाएगा।

12.3 नियम 8.1 के अनुसार दूरस्थ स्थल पर गवाही के दौरान समन्वयक की सहायता से न्यायालय द्वारा गवाही देने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की जाएगी और यह न्यायालय के आदेश पत्रक में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए।

12.4 सिविल मामलों में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही देने वाले व्यक्ति के बयान को रिकॉर्ड करवाने के लिए अनुरोध कर रहे पक्षकारों को न्यायालय में ऐसे व्यक्ति की अवस्थिति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही हेतु सम्मति तथा तय किये समय और स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सभी तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करनी होगी।

12.5 आपराधिक मामलों में, जहाँ गवाही देने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष या न्यायालय का गवाह है, या जहाँ गवाही देने वाला व्यक्ति बचाव पक्ष का गवाह है, अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष, जैसा भी मामला हो, का अधिवक्ता न्यायालय में ऐसे व्यक्ति की अवस्थिति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही हेतु सम्मति तथा ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए समय, स्थान और तकनीकी सुविधाओं की पुष्टि करेगा।

12.6 यदि गवाही देने वाला व्यक्ति एक अभियुक्त है तो अभियोजन पक्ष दूरस्थ स्थल पर अभियुक्त की अवस्थिति की पुष्टि करेगा।

12.7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साधारणतया न्यायालय के कार्य-समय में संचालित किया जाएगा। परन्तु, न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय और कार्यक्रम से सम्बंधित उपयुक्त निर्देश पारित करेगा।

12.8 यदि अभियुक्त हिरासत में है तथा न्यायालय स्थल पर उपस्थित नहीं है तो न्यायालय गवाहों (जिनमें चिकित्सक अथवा अन्य विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं) के बयान की रिकॉर्डिंग को सुगम बनाने के लिए खुद के, गवाहों के तथा हिरासत में मौजूद अभियुक्त के बीच एक बहु-स्थल वीडियो कॉन्फ्रेंस का आदेश देगा। न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा की अभियुक्त का बचाव किसी भी तरीके से पक्षपातपूर्ण न हो तथा नियम 8.3 में दिए गए संरक्षोपायों का पालन हो।

12.9 दूरस्थ स्थल पर मौजूद समन्वयक को पक्षकारों के परामर्श से न्यायालय द्वारा निर्देशित मानदेय राशि प्रदत्त की जाएगी।

13. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लागत

सम्बंधित न्यायालय द्वारा नियत नियमों के अभाव में, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लागत को निर्धारित और/या आवंटित करते समय निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कर सकता है:

13.1 आपराधिक मामलों में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के खर्च, जिसमें सॉफ्ट प्रतियां/न्यायालय के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ तैयार करने और दूरस्थ स्थल पर मौजूद समन्वयक को संचारित करने की लागत तथा मामले के अनुसार अनुवादक/भाषांतरकार/ विशेष शिक्षक तथा दूरस्थ स्थल पर मौजूद समन्वयक का देय शुल्क न्यायालय द्वारा निर्देशित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

13.2 सिविल मामलों में, सामान्यतः, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग का अनुरोध करने वाले पक्षकार को लागत वहन करनी पड़ेगी।

13.3 उपरोक्त के अलावा, न्यायालय समय समय पर प्रचलित नियम/अभियोक्ता तथा गवाहों के खर्चों के भुगतान से सम्बंधित अनुदेश को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्ययों, जिन्हें वह उचित मानता है, के लिए भी आदेश दे सकता है।

13.4 परिस्थिति अनुसार खर्चों को माफ़ करने के निर्णय के लिए न्यायालय स्वतंत्र होगा।

14. कार्यवाही का संचालन

14.1 सभी अधिवक्ता, अपेक्षित व्यक्ति, स्वयं पक्षकार और/या न्यायालय द्वारा शारीरिक या आभासी तौर पर उपस्थित रहने के लिए अनुमत कोई भी अन्य व्यक्ति (एतद्पश्चात् सामूहिक रूप से "प्रतिभागी" के रूप में उल्लिखित) अनुसूची-1 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

14.2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रारंभ से पूर्व सभी प्रतिभागीगण को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालांकि, यदि कोई प्रतिभागी अपना चेहरा और नाम छिपाने का इच्छुक हो, तो उसकी जानकारी न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व न्यायालय के समन्वयक के समक्ष रखी जाएगी।

14.3 न्यायालय स्थल के समन्वयक अधिवक्ता अथवा अपेक्षित व्यक्ति अथवा न्यायालय द्वारा आभासी रूप से उपस्थिति की अनुमति प्राप्त अन्य प्रतिभागी, के द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल आईडी/मोबाईल नम्बर पर लिंक/मीटिंग आईडी/ कक्ष की जानकारी भेंजेंगे। कार्यवाहियों के एक बार आरम्भ होने के पश्चात् किसी भी अन्य व्यक्ति को अप्रत्यक्ष सुनवाई में भाग लेने की अनुमति न्यायालय की आज्ञा के बिना नहीं मिलेगी।

14.4 सुनवाई में शामिल होने के पश्चात् सहभागीगण आभासी प्रकोष्ठ, यदि हो, में उस समय तक उपलब्ध रहेंगे, जब तक कि वे न्यायालय स्थल के समन्वयक द्वारा आभासी सुनवाई में शामिल न किए जाएँ।

14.5 कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्तियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रिकॉर्ड कि गई सहमति कार्यवाही में भागीदारी में शामिल होने हेतु होगी।

14.6 न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल के बीच लिंक का स्थापन और वियोजन न्यायालय के आदेशानुसार नियंत्रित होगा।

14.7 न्यायालय यह स्वयं सुनिश्चित करेगा कि अधिवक्ता, अपेक्षित व्यक्ति अथवा कोई अन्य प्रतिभागी जिसे न्यायालय दूरस्थ स्थल अथवा न्यायालय स्थल पर आवश्यक समझे उसे स्पष्ट तौर पर देखा और सुना जा सके तथा वह भी न्यायालय को देख तथा सुन सके।

14.8 यह सुनिश्चित करने हेतु कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्बाध हो तो कनेक्टिविटी में यदि समस्याएँ सामने आए तो उन्हें जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष न्यायालय के समन्वयक की जानकारी में उनके आधिकारिक ईमेल पते और मोबाईल नंबर पर देना होगा जिसे कि आभासी सुनवाई के प्रारंभ से पूर्व ही प्रतिभागी को उपलब्ध कराया गया था। इसके पश्चात् किसी भी शिकायत की सुनवाई नहीं की जाएगी।

14.9 इन नियमों के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जब भी कोई कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाती है, तो उसे आदेश पत्रिका में विशेष रूप से उल्लिखित किया जाएगा।

15. विधिक सहायता केंद्र/शिविर/लोक अदालत/जेल अदालत में पहुँच

15.1 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुरूप और प्रवृत्त विधियों के अनुसार विधिक सहायता केंद्र/शिविर/लोक अदालत/जेल अदालत से सम्बंधित कार्यवाहियों में, कोई भी व्यक्ति जो दूरस्थ स्थल पर कारागार अथवा जेल में है, उसकी जाँच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/सचिव अथवा लोक अदालत के सदस्यों द्वारा कानून के अनुसार कोई भी अधिनिर्णय अथवा आदेश देने से पूर्व की जाएगी।

15.2 ऐसे अधिनिर्णय अथवा आदेश का वही प्रभाव होगा जैसा कि उसे नियमित लोक अदालत अथवा जेल अदालत द्वारा पारित किया गया हो।

15.3 अधिनिर्णय अथवा आदेश की प्रति तथा कार्यवाहियों के अभिलेख दूरस्थ स्थल पर भेजे जाएँगे।

16. उन व्यक्तियों को कार्यवाहियाँ देखने की अनुमति प्रदान करना जो मामले के पक्षकार नहीं हैं

16.1 खुले न्यायालय की कार्यवाहियों की जरूरतों के अवलोकन हेतु, जनता के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा न्यायालय की सुनवाई देखने की अनुमति होगी, सिवाय उन कार्यवाहियों के जिनमें इन-कैमरा सुनवाई हेतु लिखित कारण दिए हैं। कार्यवाहियों को देखने हेतु न्यायालय पर्याप्त लिंक उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा (उपलब्ध बैंडविड्थ के अनुरूप)।

16.2 यदि किसी कारणवश, मामले से सम्बन्ध न रखने वाला कोई व्यक्ति दूरस्थ स्थल पर उपस्थित होता है तो कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व उस व्यक्ति की पहचान दूरस्थ स्थल के समन्वयक द्वारा की जाएगी और उस व्यक्ति की उपस्थिति का उद्देश्य न्यायालय को बताया जाएगा। ऐसा व्यक्ति केवल न्यायालय के आदेशानुसार ही उपस्थित रह सकता है।

अध्याय V – विविध

17. शब्दों और अभिव्यक्तियों का संदर्भ

इन नियमों में प्रयुक्त किए गए अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, डंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में नियत है।

18. छूट देने की शक्ति

यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि किसी नियम का संचालन अनुचित कठिनाई उत्पन्न कर रहा है तो वह आदेश द्वारा, उस सीमा तक तथा ऐसी शर्त के अधीन उन नियमों को हटा देंगे अथवा उनमें छूट देंगे जैसा कि मामले को उचित और न्यायसंगत तरीके के कार्यवाही हेतु अनुबंधित किया जा सकता है।

19. अवशिष्ट प्रावधान

ऐसे मामलों में जिनमें इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है उन्हें न्याय के हित को सर्वोपरि मान कर न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाएगा।

अनुसूची I

1. सभी सहभागीगण कार्यवाहियों की गरिमा के अनुरूप सादे परिधान डालेंगे। अधिवक्तागण अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित पेशेवर परिधान उचित रूप से पहने होंगे। प्रासंगिक कानून अथवा आदेशों के तहत पुलिस अधिकारीगण पुलिस अधिकारियों के लिए निर्धारित वर्दी में हाज़िर होंगे। न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायालय कर्मचारी के परिधान उच्च न्यायालय द्वारा उस सम्बन्ध में निर्धारित जैसा कि प्रासंगिक नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार होंगे। ड्रेस कोड से सम्बन्धित पीठासीन न्यायाधीश अथवा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
2. कार्यवाहियाँ निर्धारित तिथि तथा समय पर संचालित होंगी। समयपालन को निष्ठापूर्वक देखा जाएगा।
3. मामले को पुकारा जाएगा तथा न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थितियों को अभिलिखित किया जाएगा।
4. प्रत्येक प्रतिभागी प्रत्यक्ष न्यायालय में अनुसरण किए जाने वाले सभी शिष्टाचार तथा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। न्यायाधीशगण को “मैडम / सर” अथवा “महामहीम” से संबोधित किया जाएगा। अधिकारीगण को उनके पद जैसे कि “न्यायाधीश अधिकारी / कोर्ट मास्टर” से संबोधित किया जाएगा। अधिवक्तागण को “विद्वान अधिवक्ता / वरिष्ठ अधिवक्ता” से संबोधित किया जाएगा।
5. अधिवक्तागण, अपेक्षित व्यक्तिगण, पक्षकार स्वयं तथा अन्य सहभागीगण अपने माइक्रोफोन बंद रखेंगे जब तक कि उन्हें निवेदन हेतु बुलाया न जाएगा।
6. दूरस्थ प्रयोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उपकरण मैलवेयर वाइरस से मुक्त हो।
7. दूरस्थ प्रयोक्ता तथा दूरस्थ स्थल पर समन्वयकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि दूरस्थ स्थल शांत स्थान पर स्थित हो, उचित रूप से सुरक्षित हो तथा पर्याप्त इन्टरनेट कवरेज वाला हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित बाधा होने पर, यदि पीठासीन न्यायाधीश निर्देशित करे तो कार्यवाहियों के स्थापित नहीं होने पर रोकने के आदेश दे सकते हैं।
8. कार्यवाहियों के दौरान सभी सहभागीगण के मोबाइल फोन बंद रहेंगे अथवा एयरप्लेन मोड पर रहेंगे।
9. सभी सहभागीगण यह प्रयास करेंगे कि वे कैमरे की ओर देखें, सतर्क रहें तथा कार्यवाहियों के दौरान किसी गतिविधि में संलग्न न रहें।

अनुसूची II**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनुरोध प्रपत्र**

1. वाद सं / सी.एन.आर संख्या (यदि कोई हो तो)
2. वाद का शीर्षक
3. कॉन्फ्रेंस की प्रस्तावित तिथि (DD/MM/YYYY) : _____
4. न्यायालय स्थल की अवस्थिति : _____
5. दूरस्थ स्थल की अवस्थिति : _____
6. दूरस्थ स्थल पर प्रतिभागीगण के नाम तथा पद : _____
7. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण : _____
के मामले में :
8. कार्यवाहियों की प्रवृत्ति : अंतिम सुनवाई / समावेदन की सुनवाई / अन्य

मैंने न्यायालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के प्रावधानों को पढ़ एवं समझ लिया है (हाईपरलिंक)। मैं उन से बंधे रहने का वचन देता हूँ जहाँ तक वे मुझ पर लागू हैं। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शुल्क देने की सहमति देता हूँ, यदि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :

तिथि:

रजिस्ट्री / न्यायालय की ओर से समन्वयक के उपयोग हेतु

क) नियुक्त न्यायपीठ:

ख) सुनवाई :

की तिथि (DD/MM/YYYY):

प्रारंभ होने का समय:

समाप्त होने का समय:

कुल समय :

ग) शुल्क:

विदेशी प्रसारण शुल्क, यदि कोई हो तो:

आवेदक/प्रत्यर्थी द्वारा खर्च की जाएगी:

सामान रूप से बाँटी जाएगी:

माफ़ कर दी गई, जैसा कि न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:

तिथि :

आदेशानुसार,
मनोज जैन, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 1st June, 2020

VIDEO CONFERENCE RULES

Preface

No. 325/Rules/DHC—Whereas it is expedient to consolidate, unify and streamline the procedure relating to the use of video conferencing for Courts; and

In exercise of its powers under Articles 225 and 227 of the Constitution of India, the High Court of Delhi makes the following Rules.

Chapter I – Preliminary

1. These Rules shall be called the “High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts 2020”.

- (i) These Rules shall apply to such courts or proceedings or classes of courts or proceedings and on and from such date as the High Court may notify in this behalf.

2. Definitions

In these Rules, unless the context otherwise requires:

- (i) "Advocate" means and includes an advocate entered in any roll maintained under the provisions of the Advocates Act, 1961 and shall also include government pleaders/advocates and officers of the department of prosecution.
- (ii) "Commissioner" means a person appointed as commissioner under the provisions of Code of Civil Procedure, 1908 (CPC), or the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC), or any other law in force.
- (iii) "Coordinator" means a person nominated as coordinator under Rule 5.

- (iv) "Court" includes a physical Court and a virtual Court or tribunal.
- (v) "Court Point" means the Courtroom or one or more places where the Court is physically convened, or the place where a Commissioner or an inquiring officer holds proceedings under the directions of the Court.
- (vi) "Court User" means a user participating in Court proceedings through video conferencing at a Court Point.
- (vii) "Designated Video Conferencing Software" means software provided by the High Court from time to time to conduct video conferencing.
- (viii) "Exceptional circumstances" include illustratively a pandemic, natural calamities, circumstances implicating law and order and matters relating to the safety of the accused and witnesses.
- (ix) "Live Link" means and includes a live television link, audio-video electronic means or other arrangements whereby a witness, a required person or any other person permitted to remain present, while physically absent from the Courtroom is nevertheless virtually present in the Courtroom by remote communication using technology to give evidence and be cross-examined.
- (x) "Remote Point" is a place where any person or persons are required to be present or appear through a video link.
- (xi) "Remote User" means a user participating in Court proceedings through video conferencing at a Remote Point.
- (xii) "Required Person" includes:
 - a. the person who is to be examined; or
 - b. the person in whose presence certain proceedings are to be recorded or conducted; or
 - c. an Advocate or a party in person who intends to examine a witness; or
 - d. any person who is required to make submissions before the Court; or
 - e. any other person who is permitted by the Court to appear through video conferencing.
- (xiii) "Rules" shall mean these Rules for Video Conferencing for Courts and any reference to a Rule, Sub-Rule or Schedule shall be a reference to a Rule, Sub-Rule or Schedule of these Rules.

Chapter II - General Principles

3. General Principles Governing Video Conferencing

- (i) Video conferencing facilities may be used at all stages of judicial proceedings and proceedings conducted by the Court.
- (ii) All proceedings conducted by a Court via video conferencing shall be judicial proceedings and all the courtesies and protocols applicable to a physical Court shall apply to these virtual proceedings. The protocol provided in Schedule I shall be adhered to for proceedings conducted by way of video conferencing.
- (iii) All relevant statutory provisions applicable to judicial proceedings including provisions of the CPC, CrPC, Contempt of Courts Act, 1971, Indian Evidence Act, 1872 (Evidence Act), and Information Technology Act, 2000 (IT Act), shall apply to proceedings conducted by video conferencing.
- (iv) Subject to maintaining independence, impartiality and credibility of judicial proceedings, and subject to such directions as the High Court may issue, Courts may adopt such technological advances as may become available from time to time.
- (v) The Rules as applicable to a Court shall *mutatis mutandis* apply to a Commissioner appointed by the Court to record evidence and to an inquiry officer conducting an inquiry.
- (vi) There shall be no unauthorised recording of the proceedings by any person or entity.
- (vii) The person defined in Rule 2(xii) shall provide identity proof as recognised by the Government of India/State Government/Union Territory to the Court point coordinator via personal email. In case of identity proof not being readily available the person concerned shall furnish the following personal details: name, parentage and permanent address, as also, temporary address if any.

4. Facilities recommended for Video Conferencing

The following equipment is recommended for conducting proceedings by video conferencing at the Court Point and the Remote Point:

- (i) Desktop, Laptop, mobile devices with internet connectivity and printer;
- (ii) Device ensuring uninterrupted power supply;
- (iii) Camera;
- (iv) Microphones and speakers;

- (v) Display unit;
- (vi) Document visualizer;
- (vii) Provision of a firewall;
- (viii) Adequate seating arrangements ensuring privacy;
- (ix) Adequate lighting; and
- (x) Availability of a quiet and secure space.

5. Preparatory Arrangements

5.1 There shall be a Coordinator both at the Court Point and at the Remote Point from which any Required Person is to be examined or heard. However, Coordinator may be required at the Remote Point only when a witness or a person accused of an offence is to be examined.

5.2 In the civil and criminal Courts falling within the purview of the district judiciary, persons nominated by the High Court or the concerned District Judge, shall perform the functions of Coordinators at the Court Point as well as the Remote Point as provided in Rule 5.3.

5.3 The Coordinator at the Remote Point may be any of the following:

Sub Rule	Where the Advocate or Required Person is at the following Remote Point:-	The Remote Point Coordinator shall be:-
5.3.1	Overseas	An official of an Indian Consulate / the relevant Indian Embassy / the relevant High Commission of India
5.3.2	Court of another state or union territory of India	Any authorized official nominated by the concerned District Judge
5.3.3	Mediation Centre or office of District Legal Services Authority	Any authorized person / official nominated by the Chairperson or Secretary of the concerned District Legal Services Authority.
5.3.4	Jail or prison	The concerned Jail Superintendent or Officer- in-charge of the prison.
5.3.5	Hospitals administered by the Central Government, the State Government or local bodies	Medical Superintendent or an official authorized by them or the person in charge of the said hospital
5.3.6	Observation Home, Special Home, Children's Home, Shelter Home, or any institution referred to as a child facility (collectively referred to as child facilities) and where the Required Person is a juvenile or a child or a person who is an inmate of such child facility.	The Superintendent or Officer in charge of that child facility or an official authorized by them.
5.3.7	Women's Rescue Homes, Protection Homes, Shelter Homes, Nari Niketans or any institution referred to as a women's facility (collectively referred to as women's facilities).	The Superintendent or Officer-in-charge of the women's facility or an official authorized by them.
5.3.8	In custody, care or employment of any other government office, organization or institution (collectively referred to as institutional facilities).	The Superintendent or Officer-in-charge of the institutional facility or an official authorized by them.
5.3.9	Forensic Science Lab	The Administrative officer-in-charge or their nominee.
5.3.10	In case of any other location	The concerned Court may appoint any person deemed fit and proper who is ready and willing to render services as a Coordinator to ensure that the proceedings are conducted in a fair, impartial and independent manner and according to the directions issued by the Court in that behalf.

5.3.11 Notwithstanding the provisions of Clause 5.3.1, where witness examination is to take place in a criminal case of a person located outside the country, the provisions of the “Comprehensive Guidelines for investigation abroad and issue of Letters Rogatory (LRs) / Mutual Legal Assistance (MLA) Request and Service of Summons / Notices/ Judicial documents in respect of Criminal Matters” (available at http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/ISII_ComprehensiveGuidelinesMutualLegalAssistance_17122019.pdf) will be followed to the extent they comport with the provisions of the CrPC and the Evidence Act. Furthermore, before the Court employs its discretion to carry out witness examination via video conference, it will obtain the consent of the accused.

5.4 When a Required Person is at any of the Remote Points mentioned in Sub Rule 5.3 and video conferencing facilities are not available at any of these places the concerned Court will formally request the District Judge, in whose jurisdiction the Remote Point is situated to appoint a Coordinator for and to provide a video conferencing facility from proximate and suitable Court premises.

5.5 The Coordinators at both the Court Point and Remote Point shall ensure that the recommended requirements set out in Rule 4 are complied with so that the proceedings are conducted seamlessly.

5.6 The Coordinator at the Remote Point shall ensure that:

5.6.1 All Advocates and/or Required Persons scheduled to appear in a particular proceeding are ready at the Remote Point designated for video conferencing at least 30 minutes before the scheduled time.

5.6.2 No unauthorised recording device is used.

5.6.3 No unauthorised person enters the video conference room when the video conference is in progress.

5.6.4 The person being examined is not prompted, tutored, coaxed, induced or coerced in any manner by any person and that the person being examined does not refer to any document, script or device without the permission of the concerned Court during the examination.

5.7 Where the witness to be examined through video conferencing requires or if it is otherwise expedient to do so, the Court shall give sufficient notice in advance, setting out the schedule of video conferencing and, in appropriate cases may transmit non-editable digital scanned copies of all or any part of the record of the proceedings to the official email account of the Coordinator of the concerned Remote Point designated under Rule 5.3.

5.8 Before the scheduled video conferencing date, the Coordinator at the Court Point shall ensure that the Coordinator at the Remote Point receives certified copies, printouts or a soft copy of the non-editable scanned copies of all or any part of the record of proceedings which may be required for recording statements or evidence, or for reference. However, these shall be permitted to be used by the Required Person only with the permission of the Court.

5.9 Whenever required the Court shall order the Coordinator at the Remote Point or at the Court Point to provide-

5.9.1 A translator in case the person to be examined is not conversant with the official language of the Court.

5.9.2 An expert in sign languages in case the person to be examined is impaired in speech and/or hearing.

5.9.3 An interpreter or a special educator, as the case may be, in case a person to be examined is differently-abled, either temporarily or permanently.

Chapter III - Procedure for Video Conferencing

6. Application for Appearance, Evidence and Submission by Video Conferencing:

6.1 Any party to the proceeding or witness, save and except where proceedings are initiated at the instance of the Court, may move a request for video conferencing. A party or witness seeking a video conferencing proceeding shall do so by making a request via the form prescribed in Schedule II.

6.2 Any proposal to move a request for video conferencing should first be discussed with the other party or parties to the proceeding, except where it is not possible or inappropriate, for example in cases such as urgent applications.

6.3 On receipt of such a request and upon hearing all concerned persons, the Court will pass an appropriate order after ascertaining that the application is not filed to impede a fair trial or to delay the proceedings.

6.4 While allowing a request for video conferencing, the Court may also fix the schedule for convening the video conferencing.

6.5 In case the video conferencing event is convened for making oral submissions, the order may require the Advocate or party in person to submit written arguments and precedents, if any, in advance on the official email ID of the concerned Court.

6.6 Costs, if directed to be paid, shall be deposited within the prescribed time, commencing from the date on which the order convening proceedings through video conferencing is received.

7. Service of Summons

7.1 Summons issued to a witness who is to be examined through video conferencing, shall mention the date, time and venue of the concerned Remote Point and shall direct the witness to attend in person along with proof of identity or an affidavit to that effect. The existing rules regarding service of the summons and the consequences for non-attendance, as provided in the CPC and CrPC shall apply to service of summons for proceedings conducted by video conferencing.

7.2 Furthermore in respect of service of summons on witnesses residing outside the country, concerning criminal matters, the provisions of “Comprehensive Guidelines for investigation abroad and issue of Letters Rogatory (LRs) / Mutual Legal Assistance (MLA) Request and Service of Summons / Notices/ Judicial documents in respect of Criminal Matters” (available at http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/ISII_ComprehensiveGuidelinesMutualLegalAssistance_17122019.pdf) will be followed to the extent they comport with the provisions of the CrPC and the extant laws.

8. Examination of persons

8.1 Any person being examined, including a witness shall, before being examined through video conferencing, produce and file proof of identity by submitting an identity document issued or duly recognized by the Government of India, State Government, Union Territory, or in the absence of such a document, an affidavit attested by any of the authorities referred to in Section 139 of the CPC or Section 297 of the CrPC, as the case may be. The affidavit will *inter alia* state that the person, who is shown to be the party to the proceedings or as a witness, is the same person, who is to depose at the virtual hearing. A copy of the proof of identity or affidavit, as the case may be, will be made available to the opposite party.

8.2 The person being examined will ordinarily be examined during the working hours of the concerned Court or at such time as the Court may deem fit. The oath will be administered to the person being examined by the Coordinator at the Court Point.

8.3 Where the person being examined, or the accused to be tried, is in custody, the statement or, as the case may be, the testimony, may be recorded through video conferencing. The Court shall provide adequate opportunity to the under-trial prisoner to consult in privacy with their counsel before, during and after the video conferencing.

8.4 Subject to the provisions for the examination of witnesses contained in the Evidence Act, before the examination of the witness, the documents, if any, sought to be relied upon shall be transmitted by the applicant to the witness, so that the witness acquires familiarity with the said documents. The applicant will file an acknowledgement with the Court in this behalf.

8.5 If a person is examined concerning a particular document then the summons to witness must be accompanied by a duly certified photocopy of the document. The original document should be exhibited at the Court Point as per the deposition of the concerned person being examined.

8.6 The Court would be at liberty to record the demeanour of the person being examined.

8.7 The Court will note the objections raised during the deposition of the person being examined and rule on them.

8.8 The Court shall obtain the signature of the person being examined on the transcript once the examination is concluded. The signed transcript will form part of the record of the judicial proceedings. The signature on the transcript of the person being examined shall be obtained in either of the following ways:

8.8.1 If digital signatures are available at both the concerned Court Point and Remote Point, the soft copy of the transcript digitally signed by the presiding Judge at the Court Point shall be sent by the official e-mail to the Remote Point where a print out of the same will be taken and signed by the person being examined. A scanned copy of the transcript digitally signed by the Coordinator at the Remote Point would be transmitted by official email to the Court Point. The hard copy of the signed transcript will be dispatched after the testimony is over, preferably within three days by the Coordinator at the Remote Point to the Court Point by recognised courier/registered speed post.

8.8.2 If digital signatures are not available, the printout of the transcript shall be signed by the presiding Judge and the representative of the parties, if any, at the Court Point and shall be sent in non-editable scanned format to the official email account of the Remote Point, where a printout of the same will be taken and signed by the person examined and countersigned by the Coordinator at the Remote Point. A non-editable scanned format of the transcript so signed shall be sent by the Coordinator of the Remote Point to the official email account of the Court Point, where a print out of the same will be taken and shall be made a part of the judicial record. The hard copy would also be dispatched preferably within three days by the Coordinator at the Remote Point to the Court Point by recognised courier/registered speed post.

8.9 An audio-visual recording of the examination of the person examined shall be preserved. An encrypted master copy with hash value shall be retained as a part of the record.

8.10 The Court may, at the request of a person to be examined, or on its own motion, taking into account the best interests of the person to be examined, direct appropriate measures to protect the privacy of the person examined bearing in mind aspects such as age, gender, physical condition and recognized customs and practices.

8.11 The Coordinator at the Remote Point shall ensure that no person is present at the Remote Point, save and except the person being examined and those whose presence is deemed administratively necessary by the Coordinator for the proceedings to continue.

8.12 The Court may also impose such other conditions as are necessary for a given set of facts for effective recording of the examination (especially to ensure compliance with Rule 5.6.4).

8.13 The examination shall, as far as practicable, proceed without interruption or the grant of unnecessary adjournments. However, the Court or the Commissioner as the case may be will be at liberty to determine whether an adjournment should be granted, and if so, on what terms.

8.14 The Court shall be guided by the provisions of the CPC and Chapter XXIII, Part B of the CrPC, the Evidence Act and the IT Act while examining a person through video conferencing.

8.15 Where a Required Person is not capable of reaching the Court Point or the Remote Point due to sickness or physical infirmity, or presence of the required person cannot be secured without undue delay or expense, the Court may authorize the conduct of video conferencing from the place at which such person is located. In such circumstances, the Court may direct the use of portable video conferencing systems. Authority in this behalf may be given to the concerned Coordinator and/or any person deemed fit by the Court.

8.16 Subject to such orders as the Court may pass, in case any party or person authorized by the party is desirous of being physically present at the Remote Point at the time of recording of the testimony, such a party shall make its arrangement for appearance /representation at the Remote Point.

9. Exhibiting or Showing Documents to Witness or Accused at a Remote Point

If in the course of examination of a person at a Remote Point by video conferencing, it is necessary to show a document to the person, the Court may permit the document to be shown in the following manner:

9.1 If the document is at the Court Point, by transmitting a copy or image of the document to the Remote Point electronically, including through a document visualizer; or

9.2 If the document is at the Remote Point, by putting it to the person and transmitting a copy/image of the same to the Court Point electronically including through a document visualizer. The hard copy of the document countersigned by the witness and the Coordinator at the Remote Point shall be dispatched thereafter to the Court Point via authorized courier/registered speed post.

10. Ensuring seamless video conferencing

10.1 The Advocate or Required Person, shall address the Court by video conferencing from a specified Remote Point on the date and time specified in the order issued by the Court. The presence of the coordinator will not be necessary at the Remote point where arguments are to be addressed by an advocate or party in person before the Court.

10.2 If the proceedings are carried out from any of the Remote Point(s) (in situations described in Rules 5.3.1 to 5.3.9) the Coordinator at such Remote Point shall ensure compliance of all technical requirements. However, if the proceedings are conducted from a Remote Point falling in the situation contemplated under Rule 5.3.10, such as an Advocate's office, the Coordinator at the Court Point shall ensure compliance of all technical requirements for conducting video conferencing at both the Court Point and the Remote Point.

10.3 The Coordinator at the Court Point shall be in contact with the concerned Advocate or the Required Person and guide them regarding the fulfilment of technical and other requirements for executing a successful hearing through video conferencing. Any problems faced by such Remote Users shall be resolved by the Court Point Coordinator. The Court Point Coordinator shall *inter alia* share the link of the video conferencing hearing with such Remote Users.

10.4 The Coordinator at the Court Point shall ensure that any document or audio-visual files, emailed by the Remote User, are duly received at the Court Point.

10.5 The Coordinator at the Court Point shall also conduct a trial video conferencing, preferably 30 minutes before scheduled video conferencing to ensure that all the technical systems are in working condition at both the Court Point and the Remote Point.

10.6 At the scheduled time, the Coordinator at the Court Point shall connect the Remote User to the Court.

10.7 On completion of the video conferencing proceeding, the Court shall mention in the order sheet the time and duration of the proceeding, the software used (in case the software used is not the Designated Video Conferencing Software), the issue(s) on which the Court was addressed and the documents if any that were produced and transmitted online. In case a digital recording is tendered, the Court shall record its duration in the order sheet along with all other requisite details.

10.8 The Court shall also record its satisfaction as to clarity, sound and connectivity for both Court Users and Remote Users.

10.9 On the completion of video conferencing, if a Remote User believes that she/he were prejudiced due to poor video and/or audio quality, the Remote User shall immediately inform the Coordinator at the Court Point, who shall, in turn, communicate this information to the Court without any delay. The Court shall consider the grievance and if it finds

substance in the grievance may declare the hearing to be incomplete and the parties may be asked to re-connect or make a physical appearance in Court.

11. Judicial remand, the framing of charge, the examination of accused and Proceedings under Section 164 of the CrPC

11.1 The Court may, at its discretion, authorize the detention of an accused, frame charges in a criminal trial under the CrPC by video conferencing. However, ordinarily judicial remand in the first instance or police remand shall not be granted through video conferencing save and except in exceptional circumstances for reasons to be recorded in writing.

11.2 The Court may, in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing, examine a witness or an accused under Section 164 of the CrPC or record the statement of the accused under Section 313 CrPC through video conferencing, while observing all due precautions to ensure that the witness or the accused as the case may be is free of any form of coercion, threat or undue influence. The Court shall ensure compliance with Section 26 of the Evidence Act.

Chapter IV - General Procedure

12. General procedure

12.1 The procedure set out hereafter in this chapter is without prejudice to the procedure indicated elsewhere in these Rules qua specific instances in which proceedings are conducted via video conferencing.

12.2 The Coordinator at the Court Point shall ensure that video conferencing is conducted only through a Designated Video Conferencing Software. However, in the event of a technical glitch during a given proceeding, the concerned Court may for reasons to be recorded permit the use of software other than the Designated Video Conferencing Software for video conferencing in that particular proceeding.

12.3 The identity of the person to be examined shall be confirmed by the Court with the assistance of the Coordinator at the Remote Point as per Rule 8.1, at the time of recording of the evidence and the same must be reflected in the order sheet of the Court.

12.4 In civil cases, parties requesting for recording statements of the person to be examined by video conferencing shall confirm to the Court, the location of the person, the willingness of such person to be examined through video conferencing and the availability of technical facilities for video conferencing at the agreed-upon time and place.

12.5 In criminal cases, where the person to be examined is a prosecution witness or a Court witness, or where a person to be examined is a defence witness, the counsel for the prosecution or defence counsel, as the case may be, shall confirm to the Court the location of the person, willingness to be examined by video conferencing and the time, place and technical facility for such video conferencing.

12.6 In case the person to be examined is an accused, the prosecution will confirm the location of the accused at the Remote Point.

12.7 Video conferencing shall ordinarily take place during the Court hours. However, the Court may pass suitable directions concerning the timing and schedule of video conferencing as the circumstances may warrant.

12.8 If the accused is in custody and not present at the Court Point, the Court will order a multi-point video conference between itself, the witness and the accused in custody to facilitate the recording of the statement of the witness (including medical or other experts). The Court shall ensure that the defence of the accused is not prejudiced in any manner and that the safeguards contained in Rule 8.3 are observed.

12.9 The Coordinator at the Remote Point shall be paid such amount as honorarium as may be directed by the Court in consultation with the parties.

13. Costs of Video Conferencing

In the absence of rules prescribed by the concerned Court, the Court may take into consideration the following circumstances when determining and/or apportioning the costs of video conferencing:

13.1 In criminal cases, the expenses of the video conferencing facility including expenses involved in preparing soft copies / certified copies of the Court record and transmitting the same to the Coordinator at the Remote Point, and the fee payable to the translator / interpreter / special educator, as the case may be, as also the fee payable to the Coordinator at the Remote Point, shall be borne by such party as directed by the Court.

13.2 In civil cases, generally, the party requesting for recording evidence through video conferencing shall bear the expenses.

13.3 Besides the above, the Court may also make an order as to expenses as it considers appropriate, taking into account the rules / instructions regarding payment of expenses to the complainant and witnesses, as may be prevalent from time to time.

13.4 It shall be open to the Court to waive the costs as warranted in a given situation.

14. Conduct of Proceedings

14.1 All Advocates, Required Persons, the party in person and/or any other person permitted by the Court to remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants) shall abide by the requirements set out in Schedule I.

14.2 Before the commencement of video conferencing all participants, shall have their presence recorded. However, in case a participant is desirous that their face or name be masked, information to that effect will be furnished to the Court Point Coordinator before the commencement of the proceeding.

14.3 The Court Point Coordinator shall send the link / Meeting ID / Room Details via the email Id / mobile number furnished by the Advocate or Required Person or other participant permitted to be virtually present by the Court. Once the proceedings have commenced, no other persons will be permitted to participate in the virtual hearing, save and except with the permission of the Court.

14.4 The participants, after joining the hearing shall remain in the virtual lobby if available, until they are admitted to the virtual hearing by the Coordinator at the Court Point.

14.5 Participation in the proceedings shall constitute consent by the participants to the proceedings being recorded by video conferencing.

14.6 Establishment and disconnection of links between the Court Point and the Remote Point would be regulated by orders of the Court.

14.7 The Court shall satisfy itself that the Advocate, Required Person or any other participant that the Court deems necessary at the Remote Point or the Court Point can be seen and heard clearly and can see and hear the Court.

14.8 To ensure that video conferencing is conducted seamlessly, the difficulties, if any, experienced in connectivity must be brought to the notice of the Court at the earliest on the official email address and mobile number of the Court Point Coordinator which has been furnished to the participant before the commencement of the virtual hearing. No complaint shall subsequently be entertained.

14.9 Wherever any proceeding is carried out by the Court under these Rules by taking recourse to video conferencing, this shall specifically be mentioned in the order sheet.

15. Access to Legal Aid Clinics/Camps/Lok Adalats/Jail Adalats

15.1 In conformity with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 and the laws in force, in proceedings related to Legal Aid Clinics, Camps, Lok Adalats or Jail Adalats, any person who at the Remote Point is in Jail or Prison shall be examined by the Chairman / Secretary of the District Legal Service Authority or Members of Lok Adalats before passing any award or orders as per law.

15.2 Such award or order shall have the same force as if it was passed by the regular Lok Adalat or Jail Adalat.

15.3 Copy of the award or order and the record of proceedings shall be sent to the Remote Point.

16. Allowing persons who are not parties to the case to view the proceedings

16.1 To observe the requirement of an open Court proceeding, members of the public will be allowed to view Court hearings conducted through video conferencing, except proceedings ordered for reasons recorded in writing to be conducted in-camera. The Court shall endeavour to make available sufficient links (consistent with available bandwidth) for accessing the proceedings.

16.2 Where, for any reason, a person unconnected with the case is present at the Remote Point, that person shall be identified by the Coordinator at the Remote Point at the start of the proceedings and the purpose of the presence of that person shall be conveyed to the Court. Such a person shall continue to remain present only if ordered so by the Court.

Chapter V – Miscellaneous**17. Reference to Words and Expressions**

Words and expressions used and not defined in these Rules shall have the same meaning as assigned to them in the CPC, the CrPC, Evidence Act, IT Act, and the General Clauses Act, 1897.

18. Power to Relax

The High Court may if satisfied that the operation of any Rule is causing undue hardship, by order dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions, as may be stipulated to deal with the case in a just and equitable manner.

19. Residual Provisions

Matters concerning which no express provision has been made in these Rules shall be decided by the Court consistent with the principle of furthering the interests of justice.

SCHEDULE I

1. All participants shall wear sober attire consistent with the dignity of the proceedings. Advocates shall be appropriately dressed in professional attire prescribed under the Advocates Act, 1961. Police officials shall appear in the uniform prescribed for police officials under the relevant statute or orders. The attire for judicial officers and court staff will be as specified in the relevant rules prescribed in that behalf by the High Court. The decision of the Presiding Judge or officer as to the dress code will be final.
2. Proceedings shall be conducted at the appointed date and time. Punctuality shall be scrupulously observed.
3. The case will be called out and appearances shall be recorded on the direction of the Court.
4. Every participant shall adhere to the courtesies and protocol that are followed in a physical Court. Judges will be addressed as "Madam/Sir" or "Your Honour". Officers will be addressed by their designation such as "Bench Officer/Court Master". Advocates will be addressed as "Learned Counsel/Senior Counsel"
5. Advocates, Required Persons, parties in person and other participants shall keep their microphones muted till they are called upon to make submissions.
6. Remote Users shall ensure that their devices are free from malware.
7. Remote Users and the Coordinator at the Remote Point shall ensure that the Remote Point is situated in a quiet location, is properly secured and has sufficient internet coverage. Any unwarranted disturbance caused during video conferencing may if the Presiding Judge so directs render the proceedings *non-est*.
8. All participants' cell phones shall remain switched off or in aeroplane mode during the proceedings.
9. All participants should endeavour to look into the camera, remain attentive and not engage in any other activity during the proceedings.

SCHEDULE II

Request Form for Video Conference

1. Case Number / CNR Number (if any)
2. Cause Title
3. Proposed Date of conference (DD/MM/YYYY): _____
4. Location of the Court Point(s): _____
5. Location of the Remote Point(s): _____
6. Names & Designation of the Participants at the Remote Point: _____
7. Reasons for Video Conferencing:

In the matter of:

8. Nature of Proceedings: Final Hearing ☐ Motion Hearing ☐ Others ☐

I have read and understood the provisions of Rules for Video Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to remain bound by the same to the extent applicable to me. I agree to pay video conferencing charges if so, directed by the Court.

Signature of the applicant/authorised signatory:

Date:

For use of the Registry / Court Point Coordinator**A) Bench assigned:****B) Hearing:**

Held on (DD/MM/YYYY):

Commencement Time:

End time:

Number of hours:

C) Costs:

Overseas transmission charges if any:

To be Incurred by Applicant /Respondent:

To be shared equally:

Waived; as ordered by the Court:

Signature of the authorised officer:

Date:

By Order,
MANOJ JAIN, Registrar General